P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अलवर रियासत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं : एक अध्ययन (महाराजा जयसिंह के विशेष संदर्भ में)

हंसराज सोनी
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान

सारांश

भारत वर्ष में प्राचीनकाल में परम्परागत चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत देशी जड़ी बूटियों के माध्यम से वैद्य–हकीमों के द्वारा चिकित्सा की जाती थी। प्राचीन चिकित्सा साहित्यिक ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में शरीर संरचना एवं उपचार की विविध प्रणालियों व सर्जिकल विधियों का विवरण प्राप्त होता है। आधुनिक युग में नवीन अनुसंधान एवं अन्वेषण के फलस्वरूप नवीन चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन शुरू हुआ, साथ ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया। वर्तमान में राज्य सरकारें नवीन अनुसंधान पर आधारित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रयासरत हैं। वस्तुतः प्राचीनकाल से वर्तमान तक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य ध्येय **''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया''** के उद्देश्य की पूर्ति रहा है।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पूर्व स्थापित चिकित्सा व्यवस्थाओं के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आया। इस समय परम्परागत चिकित्सा पद्धति के साथ एलोपैथिक पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ। पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालयों की स्थापना की जाने लगी। इस व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों के निरन्तर शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा। ब्रिटिश भारत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव अलवर रियासत पर भी पड़ा।

मुख्य शब्द : चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य, मेडिकल, एक्स–रे, पैथोलॉजी, अलेक्जेण्डर हॉस्पीटल, महिला चिकित्सालय, आयुर्वेदिक।

प्रस्तावना

भारत वर्ष में बीसवीं शताब्दी का समय नवजागरण की दृष्टि से प्रसिद्ध रहा है। नवजागरण की इस लहर से अलवर रियासत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। अलवर में नवजागरण का श्रेय महाराजा जयसिंह को दिया जाता है। वे एक योग्य प्रबुद्ध, प्रगतिशील एवं जनहितैषी शासक थे। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर ब्रिटिश चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप रियासत की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।

अध्ययनकाल

प्रस्तुत शोध पत्र महाराजा जयसिंह के शासनकाल 1892 ई. से 1937 ई. तक के अलवर रियासत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर केन्द्रीत किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. मौलिक तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अलवर के रियासतकालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रबंध, उनकी कार्यप्रणाली एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और विकास को जानना।
2. आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं नवीन स्वास्थ्य उपकरणों एवं संसाधनों के तहत जन सामान्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सापेक्षित जन उपयोगिता का अध्ययन करना।
3. रियासतकाल में इन्फ्लुएजा, प्लेग, चेचक, हैजा आदि महामारियों के समय राज्य शासन द्वारा चलाये गये टीकाकरण अभियान और आधुनिक सुविधाओं के फलस्वरूप जन्म मृत्यु दर में हुए परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

4. रियासतकालीन चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्तमान संदर्भ में उनकी उपयोगिता और प्रसांगिकता का अध्ययन करना।

साहित्यालोकन

अलवर राज्य के इतिहास से संबंधित प्रमाणिक ग्रंथों व लेखों का सर्वथा अभाव रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर एवं शाखा अलवर में उपलब्ध मूल स्त्रोतों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध सामग्री तथा विभिन्न वर्षों में प्रकाशित अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट्स का तथ्यपूर्वक अध्ययन कर उपयोग किया गया है।

उपलब्ध साहित्य में 1937 ई. में प्रकाशित पं. पिनाकीलाल जोशी की 'अलवर राज्य का इतिहास', जिसमें महाराजा जयसिंह के शासन प्रबंध से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं का तार्किक ढंग से संक्षिप्त विवेचन किया गया है।

जयपुर–अलवर राज्य सें सबंधित जगदीश सिंह गहलोत की पुस्तक 'कछवाहों का इतिहास' है, जो यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर द्वारा 2011 में प्रकाशित है। प्रस्तुत ग्रंथ में अलवर रियासतकालीन विभिन्न शासकों की उपलब्धियां एवं सामाजिक, प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के प्रोसेडिंग्स, वाल्यूम 29, नवम्बर 2014 में 'अलवर राज्य में स्वास्थ्य सेवायें अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर एक परिदृश्य' नामक शोध लेख प्रकाशित है। जिससे रियासतकालीन अलवर में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा विभिन्न वर्षों में प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट्स एवं अलवर गजेटियर से भी हमें चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित जानकारी मिलती है। उपरोक्त अभिलेखागार से प्राप्त पुरालेखीय एवं अपुरालेखीय रिकॉर्ड, द्वितीयक स्त्रोतों एवं अन्य अध्ययन सामग्री के आधार पर प्रस्तुत शोध पत्र में महाराजा जयसिंह के समय की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हुए मौलिक परिवर्तनों तथा जनसमुदाय पर उनके प्रभावों का तथ्यपरक विवेचना की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

अलवर रियासत में 19वीं शताब्दी के मध्य तक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। जिसमें देशी जड़ी बूटियों के माध्यम से वैध हकीमों द्वारा उपचार किया जाता था। ब्रिटिश प्रभाव के फलस्वरूप अलवर शहर में 1859 ई. में प्रथम एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित किया गया जिसे कालांतर में सामान्य अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया। इसी क्रम में ब्रिटिश भारत में महिला चिकित्सा के प्रति जागरुकता अभियान के अन्तर्गत 1889 ई. में 'लेडी डफरिन महिला चिकित्सालय' खोला गया।[1]

1894–95 ई. में अलवर शहर में आर्मी हॉस्पीटल एवं जेल अस्पताल भी संचालित थे। इसके अलावा 6 निजामतों क्रमशः थानागाजी, बहरोड़, अलवर, राजगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़ में डिस्पेन्सरी खोली जा चुकी थी। राज्य में इस समय एजेन्सी सर्जन को चिकित्सा विभाग का प्रभारी अधिकारी बनाया गया था। शासन द्वारा उसकी सहायता के लिए महिला और पुरुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी।[2]

इस प्रकार अलवर राज्य चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर था। आगामी वर्षों में राज्य द्वारा आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के प्रति विशेष अभिरुचि तथा उत्साह के फलस्वरूप निरन्तर चिकित्सा संस्थान खोले गये और उनमें बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन सुविधाएँ मुहैया कराई गई। इसके साथ ही परम्परागत चिकित्सा पद्धति के समुचित विकास के भी प्रबंध किये गये।

(क) चिकित्सा व्यवस्था : पुनर्गठन एवं नवाचार

महाराजा जयसिंह ने 1907–08 ई. में शासन पुनर्गठन के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन किया गया।[3] आगामी वर्षों में इस विभाग को राज्य के नियंत्रण में करने एवं उसे प्रभावशाली रूप से लागू करने के उद्देश्य से 1911–12 ई. में एजेन्सी सर्जन के पद को समाप्त कर राज्य सर्जन को चिकित्सा विभाग का प्रभारी बनाया गया और इस पद पर भारतीय चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई।[4] 1914–15 ई. में राज्य सरकार ने उप सहायक सर्जन के पदों को भी सर्जित किया गया।

1913–14 ई. में राज्य सरकार ने ब्रिटिश भारत के अनुरुप चिकित्सा विभाग के कम्पाउण्डर, सह नर्सिंग कर्मियों आदि में ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया। जो 1 जुलाई 1914 से प्रभावी रुप से लागू हुआ।[5] 1921–22 ई. में भारत सरकार के वेतनमान के समानान्तर चिकित्सकीय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि भी की गई।[6]

महाराजा जयसिंह ने सदर अस्पताल के वातावरण एवं बसावट की दृष्टि से अनुपयुक्त मानते हुए आधुनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 'अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल' को स्थापित किया। जिसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लार्ड मिण्टो ने 26 अक्टूबर 1909 ई. को किया। नवीन अस्पताल में लघु शल्य कक्ष एवं इण्डोर एवं आउटडोर में मरीजो के उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई। इस भवन में चिकित्सकीय उपकरण एवं प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की।[7]

अलवर राज्य में विभिन्न वर्षों में चिकित्सालयों की स्थिति, मरीजों के उपचार, टीकाकरण एवं चिकित्सा सेवाओं पर व्यय का तुलनात्मक विवेचन तालिका अन्तर्गत निम्न प्रकार से है :–

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अलवर राज्य में चिकित्सा व्यवस्था
(1916 –1928 ई.)

वर्ष	डिस्पेन्सरी औसत प्रतिदिन मरीज	अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल औसत प्रतिदिन मरीज	जनाना हॉस्पिटल औसत प्रतिदिन मरीज	जन्म–मृत्यु जन्म	मृत्यु	टीकाकरण	व्यय
1916–17	481	242	163	10848	18548	22643	35579 / –
1917–18	467	243	123	9017	34781	22753	31113 / –
1918–19	684	202	128	7595	11321	16063	31781 / –
1919–20	391	150	109	7858	5250	19005	31402 / –
1920–21	372	223	115	6674	5200	18368	30892 / –
1924–25	–	374	115	6701	3475	–	45516 / –
1926–27	535	398	136	7200	4963	17292	46601 / –
1927–28	–	372	128	8942	6187	–	46601 / –

स्त्रोत – अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1916–28

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में चिकित्सा विभाग के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही थी। राज्य में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान भी निरन्तर चलाया जाता रहा है।

1903–04 ई. में राज्य में संचालित चिकित्सालयों की संख्या जहां 9 थी, वहीं 1935–36 ई. में 12 निजामतों में डिस्पेन्सरी चिकित्सालय एवं 3 उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित थे। चिकित्सा विभाग पर 1916–17 ई. में 35579 / – रुपये व्यय किया गया जो 1936–37 ई. में बढ़कर 1.50 लाख रुपये का व्यय किया जाने लगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सजगता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया।[8]

जन स्वास्थ्य के प्रति सजगता को जाहिर करते हुए महाराजा जयसिंह ने 1928 ई. में **'शुद्ध खाद्य पदार्थों के नियम'** प्रचलित किये। जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने या मिलावटी पदार्थों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।[9]

(ख) आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

महाराजा जयसिंह ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अलेक्जेण्डर हॉस्पीटल में 1910 ई. में ऑपरेशन थियेटर स्थापित किया एवं आउटडोर एवं इण्डोर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई। 1937–38 तक अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के अन्तर्गत निम्न विभाग स्थापित किये जा चुके थे[10]– (i) एक्स–रे विभाग, (ii) पैथोलॉजी विभाग, (iii) रेबीज निरोधक केन्द्र, (iv) टी.बी. वार्ड,

मार्च 1934 ई. में पैथोलॉजी विभाग खोला गया। जिसके आंकड़ों से पता चलता है कि इस समय खून, पेशाब इत्यादि की जाँच बहुतायात में होती थी। 14 अप्रेल 1936 को एक्स–रे विभाग स्थापित किया एवं सहायक सर्जन को इसके संचालन के प्रशिक्षण के लिए मद्रास भेजा गया।[11] मई 1936 ई. में 1200 / – रुपये का आवंटन इस विभाग में नये उपकरणों एवं संसाधनों के लिए किया गया।[12]

1932 ई. में नेत्र विभाग खोला गया। जिसके लिए भारत सरकार से प्रशिक्षित नेत्र रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ ली गई। 8 सितम्बर 1936 को 'रेबीज निरोधक केन्द्र' शुरु किया गया। जिसमें रेबीज के टीके, बी.सी.जी. का टीका तथा स्नेक बाईट टीका लगाने की सुविधाएँ उपलब्ध थी। 1937 ई. में कुष्ठ निवारण संस्थान एवं क्षय रोग (टी.बी.) वार्ड भी अस्पताल के साथ संलग्न किया गया। जिसमें क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाती थी।[13] इस प्रकार 1936–37 ई. तक सामान्य चिकित्सालय में राज्य सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ एवं पैथोलॉजी सहित 6 चिकित्साकर्मियों की सेवाएँ उपलब्ध थी।[14]

अलेक्जेण्डर चिकित्सालय में विभिन्न वर्षों में होने वाली एक्स–रे, पैथोलॉजी जांच एवं रेबीज निरोधक टीकाकरण का तुलनात्मक अध्ययन तालिका अन्तर्गत निम्न प्रकार है :–

क्रम सं.	वर्ष	एक्स–रे फोटो	पैथोलॉजी जांच	रेबीज निरोधक टीकाकरण
1.	1936–37	522	4162	112
2.	1937–38	585	4530	99
3.	1938–39	670	5883	48

स्त्रोत – अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1939–40

राज्य में बढ़ती शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिला चिकित्सालय में **'मातृ शिशु केन्द्र'** स्थापित किया गया एवं स्वस्थ्य प्रसव की जानकारी के प्रसार के प्रयास किये गये। मार्च 1936 में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से युक्त एंबुलेंस महिला अस्पताल को उपलब्ध कराई गई। जो आपातकालीन परिस्थितियों में एवं सप्ताह में दो बार समस्त निजामतों का दौरा कर महिला रोगियों को चिकित्सालय में लाने व ले जाने का कार्य करती थी।[15]

(ग) चिकित्सकीय सेवाओं के प्रशिक्षण पर बल

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकीय सेवाओं के कार्य कौशल में वृद्धि के लिए निरन्तर उनके प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता था। राज्य व्यय से चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों, दाई आदि को विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। अजमेर के

विक्टोरिया मेमोरियल संस्थान में 1912 ई. से निरन्तर 4 अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष दाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पंजाब से मिडवाईफरी का प्रशिक्षण दिलाया जाता था।[16] राज्य में 1934 ई. के पश्चात् ब्रिटिश भारतीय प्रमाणित कम्पाउण्डरों की ही नियुक्ति चिकित्सालयों में की जाने लगी।[17]

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल अफसरों के प्रशिक्षण के लिए 1936 ई. में नियम व विनियम बनाये गये। इन नियमों के तहत राज्य के द्वारा प्रशिक्षण के लिए चुने गये चिकित्सकों को राज्य व्यय से ट्रेनिंग फीस, पुस्तकों को क्रय करने, आगमन–निगमन के व्यय के साथ–अफसरों को उनके वेतन का 30 प्रतिशत या 25/– रुपया प्रति मासिक अतिरिक्त अलाउन्स की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। इस प्रकार राज्य द्वारा निरन्तर चिकित्सकीय सेवाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता था।[18]

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अलवर में फाईन नं. 100 एफएस/1927 से राज्य द्वारा 1926 से 1929 तक अजमेर में दाई प्रशिक्षण के लिये भेजे गये अभ्यर्थियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।

मेडिकल प्रेक्टीशर्नर एक्ट, 1932 ई.

राज्य शासन द्वारा रियासत में मेडिकल व्यवसाय को नियमबद्ध करने के लिये एवं अप्रशिक्षित एवं अयोग्य चिकित्सकों की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 17 फरवरी 1932 में **'मेडिकल प्रेक्टीशर्नस एक्ट'** बनाया गया, जो 1 मार्च 1932 से सम्पूर्ण रियासत में प्रभावी रूप से लागू हुआ।

इस अधिनियम के तहत स्टेट सर्जन के निर्देशन में **'अलवर मेडिकल कमेटी'** के गठन का प्रस्ताव किया गया। प्रति 3 वर्ष बाद इस कमेटी का पुनर्गठन किया जाना था। राज्य में मेडिकल, सर्जरी अथवा स्वास्थ्य संबंधी उपचार करने वाले प्रत्येक चिकित्सक को इस कमेटी से प्रेक्टिस लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। यह मेडिकल कमेटी डॉक्टरों, हकीम, वैद्य के पंजीयन के लिए परीक्षा की व्यवस्था करती थी, जिसमें सफल होने वाले चिकित्सकों को प्रेक्टिस का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता था।[19]

अलवर राजकीय गजट, 11 अप्रेल 1932 से विदित होता है कि – 'अलवर मेडिकल कमेटी में स्टेट सर्जन को निर्देशक एवं वैद्य चन्द्रकिशोर, हकीम मुहम्मद, सुलेमान को इस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया। आगामी वर्षों में इस कमेटी की अनुशंसा पर ही प्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रेक्टिस करने की अनुमति दी गई।'[20]

इस प्रकार महाराजा जयसिंह ने जन स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रशिक्षित चिकित्सकों, वैद्य, कम्पाउण्डरों के द्वारा ही उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने पर बल दिया तथा अप्रशिक्षित, अपात्र चिकित्सकों की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया।

(घ) रियासतकाल में महामारी और चिकित्सा प्रबंध

रियासतकाल में समय–समय पर इन्फ्लूएन्जा, हैजा, प्लेग, चेचक जैसी महामारियों का प्रकोप रहा था। 1905–06 में हैजा, प्लेग और मलेरिया के प्रकोप ने रियासत के अधिकांश हिस्से को प्रभावित किया। 1912–13 में रियासत के कठूमर, लक्ष्मणगढ़ के समीपवर्ती क्षेत्रो में हैजा का प्रकोप अत्यधिक रहा, जिससे व्यापक स्तर पर जनसमुदाय प्रभावित हुआ। 1917–18 में इन्फ्लूएन्जा महामारी का फैलाव पूरे भारत वर्ष में रहा था, जिससे रियासत में लगभग 80,000 व्यक्ति इसके प्रभाव से ग्रसित हुए।[21]

राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने प्लेग, हैजा, महामारी के समय अस्थाई कैम्पों को स्थापित किया। प्रमुख सड़कों पर जांच पोस्ट खोले गये और उपचार की व्यवस्था की गई। मलेरिया के प्रकोप के समय राज्य सरकार द्वारा कुनैन और सिनकौना की गोलियां वितरित की गई।[22] 1917–18 में राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में नये अस्पताल खोले एवं उप सहायक सर्जनों की नियुक्ति की गई। निःशुल्क दवाईयों का वितरण तथा कपड़े उपलब्ध करवाये गये। बीमारियों से सावधानी एवं बचाव सम्बन्धी जानकारी के लिए हिन्दी में प्रचार सामग्री छपवाकर वितरित की गई।[23]

इस प्रकार रियासत के स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर महामारी को रोकने के लिए उचित एवं कारगर कदम उठाये, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद महामारियों के व्यापक स्तर पर फैलने से जनसमुदाय बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ।

(ड़) आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था

रियासत में प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी उपचार किया जाता था। शहर में 1920 ई. में जैन समुदाय के द्वारा दिगम्बर जैन औषधालय स्थापित किया गया जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार किया जाता था। इस चिकित्सालय में शुरुआती 5 माह 22 दिन में 7898 मरीजों का निःशुल्क उपचार कर औषधियाँ वितरित की गई थी।[24]

राज्य के मालाखेड़ा निजामत में वैद्य रामजीवन ने आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किया। इन्हें चिकित्सकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 1919 ई. में **'वैद्य भूषण'** की उपाधि से विभूषित किया गया।[25] इसके अलावा अलवर शहर में हाजी मुहम्मद सुलेमान एवं हकीम इमाम अली ने यूनानी औषधालय स्थापित किया था। जिसमें व्यापक स्तर पर चिकित्सा की जाती थी।[26]

1915 ई. में प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ **''सुश्रुत संहिता''** का कुंजलाल भिष्करत्न ने अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। जिससे प्राचीन रोग निदान विधि से उपचार को प्रोत्साहन मिला।[27] 1921 ई. अलवर में आयुर्वेदिक वनोषधियों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की जड़ी बूटी पत्तियाँ आदि की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।[28]

(च) पशु चिकित्सा व्यवस्था

अलवर रियासत में सितम्बर 1933 ई. में **'पशु चिकित्सा विभाग'** स्थापित किया गया। डॉ. रामनाथ इस विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस विभाग के नियंत्रण में 3 पशु चिकित्सालय और 5 निजामतों में डिस्पेन्सरी खोली गई। इन चिकित्सलयों में राज्य शासन द्वारा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। 1936–37 ई. में इस विभाग पर 19,700/– रुपये का व्यय किया गया।[29]

(छ) अलवर रियासत कालीन प्रमुख चिकित्सालय

(क) अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल

महाराजा जयसिंह ने राज्य में आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय की स्थापना के लिए 15 दिसम्बर 1904 ई. को **'अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल'** की नींव रखी। लगभग 4.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई गई। जिसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1909 को तत्कालीन वायसराय लार्ड मिण्टो द्वारा किया गया।[30] 14 नवम्बर 1909 ई. को सदर अस्पताल को इस नवीन चिकित्सालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।[31]

अलेक्जेण्डर अस्पताल में 1935–36 ई. में सालाना 55,000 मरीजों का उपचार किया जाता था। इसमें पुरुष व महिला रोगियों के लिए अलग–अलग व्यवस्थाएँ लागू की गई। 1937 ई. में इसमें 112 शैय्याओं की सुविधा के साथ एक्स–रे, पैथोलॉजी, कुष्ठ निवारण, क्षय निवारण एवं नेत्र रोग आदि विभाग संचालित किये जा रहे थे।[32] कालांतर में चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से इस भवन का निरन्तर विस्तार किया गया है। वर्तमान में यह चिकित्सालय राजीव गांधी चिकित्सालय के नाम से संचालित किया जा रहा है।

(ख) महिला चिकित्सालय

अलवर में महिला मरीजों की चिकित्सा के लिए 1889 ई. में **'लेडी डफरिन अस्पताल'** स्थापित किया गया जो मालाखेड़ा गेट के समीप पुराने जनाना अस्पताल में अवस्थित था। जिसे अप्रेल 1934 ई. में बग्गीखाने में नवीन अस्पताल में स्थानान्तरित किया गया। प्रारम्भिक वर्ष में इसमें 30 शय्याओं की व्यवस्था की गई। 1936–37 में इस चिकित्सालय में 5 जनरल वार्ड, 2 निजी वार्ड, 1 मैटरनिटी वार्ड, 69 शय्याएँ एवं 7 शिशु चारपाई की व्यवस्था थी।

महिला चिकित्सालय के चिकित्साकर्मियों में 1936–37 में 1 मेडिकल अधीक्षक, 1 सहायक सर्जन, 3 सहसहायक सर्जन, 5 प्रशिक्षित स्टाफ नर्स, 11 सहायक नर्स एवं दाई कार्यरत थे। 1936 ई. में प्रसवकालीन महिला रोगियों को लाने व ले जाने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई।[33]

(ग) दिगम्बर जैन औषधालय

अलवर शहर में जैन समुदाय ने **'दिगम्बर जैन औषधालय'** का निर्माण किया। जिसका उद्घाटन 30 अप्रेल 1920 ई. को महाराजा जयसिंह ने किया। इस औषधालय में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। 1920 ई. इस औषधालय से 7898 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई।[34]

(घ) राजगढ़ चिकित्सालय

1892 ई. में राजगढ़ निजामत में प्रथम डिस्पेन्सरी खोली गई। आगामी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा यहाँ अस्पताल भवन निर्मित्त कराया गया। 1910 ई. में प्रशासन के सहयोग से इस चिकित्सालय में एक वार्ड स्थापित किया।[35] 1917–18 ई. में रामगोपाल शाह ने अपने पिता की स्मृति में **'जयवार्ड'** निर्मित कराया जिसका 24 नवम्बर 1917 को महाराजा जयसिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस चिकित्सालय में महिला व पुरुष दोनों के उपचार की व्यवस्था की।[36]

(ज) आधुनिक चिकित्सा पद्धति का जनजीवन पर प्रभाव

अलवर रियासत में महाराजा जयसिंह के समय निरन्तर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर की पत्रावलियों में लगे हुए दवाइयों के कोटेशन एवं विभिन्न परिपत्रों से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय के स्वास्थ्य प्रबंध से जन सामान्य व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो रहा था। राज्य में टीकाकरण, जांच संबंधी आंकड़े निरन्तर इनके विस्तार को इंगित करते हैं।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने न केवल चिकित्सा जगत में परिवर्तन किये बल्कि सामाजिक, आर्थिक पक्ष को आधुनिक रूप से सजाने एवं संवारने का कार्य किया। इससे समाज की जीवन शैली भी प्रभावित हुई। परम्परावादी समाज में जहां जादू–टोना, झाड़–फूंक इत्यादि अंधविश्वास स्थान बना चुके थे, वहीं ऐलोपैथिक चिकित्सा विधि के प्रभावशाली एवं सकारात्मक परिणाम त्वरित सामने आने से जनसमुदाय की मानसिकता में परिवर्तन आया। स्वास्थ्य के प्रति बदलते दृष्टिकोण के फलस्वरूप रोग निदान के साथ साथ रोग न होने की संभावनाओं के लिए अस्वच्छता को विभिन्न रोगों की जड़ मानते हुए स्वच्छता पर ध्यान दिया जाने लगा। इन सभी के फलस्वरूप जनसमुदाय में एक सकारात्मक विचारधारा का प्रसार हुआ।

रियासतकालीन चिकित्सा प्रबंध की वर्तमान में उपयोगिता

वर्तमान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रबंध की दृष्टि से रियासतकालीन अलवर की चिकित्सा व्यवस्था की प्रासंगिकता स्पष्ट होती है। महाराजा जयसिंह के समय स्थापित अलेक्जेण्डर हॉस्पिटल, महिला चिकित्सालय एवं विभिन्न निजामतों में स्थापित चिकित्सा संस्थान अपने परिवर्धित रूप में वर्तमान में भी यथावत विद्यमान हैं। जिनमें समय के साथ–साथ चिकित्सा सुविधाओं का निरन्तर विस्तार किया जाता रहा है। वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा टीकाकरण अभियान, स्वच्छता अभियान एवं चिकित्सकों के प्रशिक्षण पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से जयसिंह ने 'शुद्ध खाद्य पदार्थों के नियम' प्रचलित किये, जो वर्तमान में भी अपनी उपयोगिता बनाये हुए है।

निष्कर्ष

इस प्रकार अलवर शहर को आधुनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ देने में महाराजा जयसिंह का सर्वाधिक योगदान रहा है। उस समय राज्य की चिकित्सा सुविधाओं पर 1.50 लाख रुपये सलाना व्यय आता था जो राज्य प्रशासन उपलब्ध करवाता था। जयसिंह ने न केवल विद्यमान चिकित्सालयों की सुविधाओं में विस्तार किया बल्कि नई पहल के तहत अधिकाधिक चिकित्सालय भी खुलवाये। इस समय एक्स–रे, पैथोलॉजी, नेत्र, रेबीज ट्रीटमेंट, टी.बी., क्षय आदि विभाग स्थापित किये गये, जिससे जनसमुदाय व्यापक स्तर पर लाभान्वित हुआ। इस काल में अलवर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हुए मौलिक परिवर्तन वर्तमान में भी मददगार साबित हुए हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. a. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, प्रोविनशियल सिरीज राजपूताना, कलकत्ता, 1908 ई, पृ. 438
   b. एलेक्स, फॉकनर, एन हिस्टोरिकल स्केच ऑफ दी नरूका स्टेट ऑफ उलवर इन राजपूताना, कलकत्ता, 1895, पृ. 41
2. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑन दी उलवर स्टेट, 1895 ई, पृ. 40
3. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1907–08, पृ. 23
4. ए ब्रीफ नोट्स ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी अलवर स्टेट, 1903–1920, पृ. 8, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर
5. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1913–14, पृ. 21
6. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1921–22, पृ. 47
7. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1908–09, पृ. 1, 18
8. a. फा.न. 745/पी/38, बस्ता नं. 19, क्रमांक 12, पृ. 81, परिशिष्ठ 'बी', रा.रा. अभिलेखागार अलवर
   b. बस्ता नं. 19, क्रमांक 10, पृ. 97–98, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
9. अलवर राजकीय गजट, विशेषांक, नं. 22, मंगलवार, 3 जुलाई 1928, जिल्द 20, रा.रा.अभि., बीकानेर
10. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1940–41, पृ. 164–165
11. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1940–41, पृ. 166–167
12. फाईल नं. 32 एडी/1936, बस्ता नं. 248, पृ. 1, रा. रा. अभिलेखागार, अलवर
13. a. मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अलवर, भारती प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 640–642
    b. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1939–40, पृ. 164–168
14. फा.नं. 745/पी/38, बस्ता नं. 19, क्रमांक 14, पृ. 87 88, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
15. a. फा.नं. 745/पी/38, बस्ता नं. 19, क्रमांक 14, पृ. 88, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
    b. राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसेडिंग्स, वाल्यूम 29, नवम्बर, 2014, पृ. 571–572
16. a. बंधाक 26, ग्रंथांक 11, क्रमांक 190, पृ. 4, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर
    b. फाईल नं. 100 एफएस/1927, पृ. 1–10, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
17. फा.नं. 745/पी/38, बस्ता नं. 19, क्रमांक 14, पृ. 82, रा.रा. अभि., अलवर
18. बस्ता नं. 208, क्रमांक 3, पृ. 1, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
19. अलवर स्टेट गजट, नं. 16, 17 फरवरी 1932, खण्ड 24, बस्ता नं. 208, क्रमांक 49, पृ. 1–2, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
20. अलवर राजकीय गजट, नं. 27, 11 अप्रेल 1932, सोमवार, खण्ड 24, रा.रा. अभि., बीकानेर
21. a. मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अलवर, भारती प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 633–635
    b. गहलोत, जगदीश सिंह, कछवाहों का इतिहास, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2011, पृ. 305
22. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1917–18, पृ. 31
23. a. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1917–18, पृ. 42
    b. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1918–19, पृ. 41
24. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1919–20, पृ. 83
25. अलवर स्टेट गजट, नं. 8, गुरूवार, 26 जून 1919, जिल्द 11, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर
26. बंधाक 231, क्रमांक 1750, ग्रंथांक 5, पृ. 10–11, रा. रा. अभिलेखागार, बीकानेर
27. अलवर स्टेट गजट, नं. 6, गुरूवार, 1 अप्रेल 1915, जिल्द 7, रा.रा. अभि., बीकानेर
28. मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अलवर, भारती प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 625
29. फा.नं. 745/पी. बस्ता नं. 19, क्रमांक 10, पृ. 121–122, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
30. a. बंधाक 216, ग्रंथांक 2, क्रमांक 1667, पृ. 4, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर
    b. फाइल नं. 168/1909, पृ. 28–32, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
31. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1909–10, पृ. 12
32. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1939–40, पृ. 156
33. फा.नं. 745/पी/1936, बस्ता नं. 19, क्रमांक 14 'जनाना हॉस्पीटल अलवर स्टेट रिपोर्ट 1936–37', पृ. 1–2, 81–88, रा.रा. अभिलेखागार, अलवर
34. a. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1919–20, पृ. 83
    b. जोशी, पिनाकीलाल, अलवर राज्य का इतिहास, हिन्दी प्रेम मन्दिर, अलवर, 1937, पृ. 91
35. मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर अलवर, भारती प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, 1968, पृ. 644
36. a. बंधाक 216, ग्रंथांक 2, क्रमांक 1667, पृ. 18, रा.रा. अभिलेखागार, बीकानेर,
    b. अलवर प्रशासनिक रिपोर्ट, 1917–18, पृ. 42